न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 81/2024
जीसीएमएस सं0 2024/162

1. नोप सिंह राठौड़ पुत्र मंगेज सिंह राठौड़, उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत नि0 बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2. विश्व प्रताप सिंह पुत्र विक्रमसिंह शेखावत उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी 559 पवन पुरी कॉलोनी बेनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
3. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

– वादीगण,

बनाम

1. अर्जुन पुत्र मोहन । समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी गण ग्राम
2. गोपाल लाल पुत्र सोनाराम। रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिलासीकर।
3. गोविन्द पुत्र मोहन ।
4. निर्मल कुमार पुत्र सोनाराम।
5. भींवाराम पुत्र मोहन ।
6. भोलूराम पुत्र मोहन ।
7. मेाहनराम पुत्र नोला ।
8. शंकरलाल पुत्र मोहन ।
9. संतोष देवी पुत्री मोहन ।
10. सरोज देवी पुत्री मोहन ।
11. सिंजा देवी पत्नि स्व0 मोहन।
12. हरलाल पुत्र मोहन ।
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रानोली जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. तहसीलदार, दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– . 1.श्री सांवरमल चौधरी,वकील वादीगण की ओर से।
2.श्री सिकेन्द्र सिंह शेखावत, प्रति0सं0 6 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा
53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक ::23.12.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 476 रकबा 1.24 है0 ख0नं0 498 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 501 रकबा 0.40 है0 ख0नं0 502 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 503 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 504 रकबा 0.67 है0 ख0नं0 505 रकबा 0.29 है0 ख0नं0 506 रकबा 0.96

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.15 है0 ग्राम त्रिलोकपुरा प0ह0 सुजावास भू0अ0नि0 क्षेत्र रैवासा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की तन में अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमियां वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 12 के संयुक्त कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमियां है, जिसमें वादी सं0 1 का हिस्सा 829/4930 वादी सं0 2 का हिस्सा 416/1245 वादी सं0 3 का हिस्सा 829/4980 तथा शेष हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 का है तथा इसी अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने वादग्रस्त भूमियों का बाहमी विभाजन कर रखा है,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमियों का दक्षिणी दिशा का हिस्सा वादीगण के हिस्से में आया हुआ है तथा उत्तरी ओर का हिस्सा प्रति0सं0 1 ता 12 के हिस्से में आया हुआ है तथा इसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु वादग्रस्त भूमियों का विधिवत रूप से बाई मिट्स एंव बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 12 के मध्यवाद ग्रस्त भूमियों का विधिवत बाई मिटस एंव बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण बंटवारे को लेकर लडाई झगडे की स्थिति बनी रहती है तथा विवादित भूमियों की संयुक्त खातेदारी होने के कारण वादीगण को विवादित भूमियों के बाबत राज्य सरकार से समय–समयपर मिलने वाली सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानियां का सामना करना पड़ता है तथा वादीगण अपने हक हिस्से का समुचित रूप से विकास भी नहीं कर पा रहे है । इस कारण वादीगण विवादित भूमियों में अपने हक, हिस्से का अलग खाता कब्जा, काश्त एंव लगान निर्धारित करवाना चाहते है। कानूनन प्रत्येक सह खातेदार काश्तकार को अपने हक हिस्से का अलग से बंटवारा करवाने का पूर्ण हक अधिकार है इसलिए वादग्रस्त भूमियों के बंटवारा हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग व घ अनुसार वाद वादीगण डिकी करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 5 एंव 7 लगायत 14 उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रति0सं0 6 जरिये वकील उपस्थित आए। प्रकरण में दिनांक 13.08.24 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/4657 दिनांक 30.08.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है। वकील वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया ।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/2024/4657 दिनांक 30.08.24 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमिया है तथा वादीगण अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

भू0अ0/2024/4657 दिनांक 30.08.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है, जिसपर वकील वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रति0सं0 6 द्वारा आपत्ति पेश करने हेतु समय चाहा गया था। परन्तु कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद आपत्ति पेश नहीं की।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/4657 दिनांक 30.08.24 फाईनल डिक्री का पार्ट रहेगा। आराजी कृषि भूमि ख0नं0 476 रकबा 1.24 है0 ख0नं0 498 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 501 रकबा 0.40 है0 ख0नं0 502 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 503 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 504 रकबा 0.67 है0 ख0नं0 505 रकबा 0.29 है0 ख0नं0 506 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.15 है0 ग्राम त्रिलोकपुरा प0ह0 सुजावास भू0अ0नि0 क्षेत्र रैवासा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर स्थित भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	नोप सिंह राठौड़ पुत्र मंगेज सिंह राठौड़ हि0 6908/27683 जाति राजपूत सा0 बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 खातेदार विश्व प्रताप सिंह पुत्र विक्रम सिंह शेखावत हि0 13867/27683 जाति राजपूत सा0 659 पवन पुरी कॉलोनी बैनाड़ रोड़ झोटवाड़ा जयपुर खातेदार सुनील कुमार पुत्र रामकुमार हि0 6908/27683 जाति जाट सा0 सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज0 खातेदार	476/2 501 502 503 504 505	1.0183 0.40 0.38 0.01 0.67 0.29	चाही–3 बारानी 3 चाही 3 गै.मु. चाह चाही 3 चाही 3	20.366 1.20 7.60 13.40 5.80
		कुल किता 6	2.7683 है0		48.366
.2.	अर्जुन पुत्र मोहन हि. 1312/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली, गोपाललाल पुत्र सोनाराम 437/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली गोविन्द पुत्र मोहन हि. 1311/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली निर्मल कुमार पुत्र सोनाराम हिस्सा 437/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली भींवाराम पुत्र मोहन हि0 1311/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली भोलूराम पुत्र मोहन हि0 1311/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली मोहनराम पुत्र नोला हि0 2017/13817 शंकरलाल पुत्र मोहन हि0 1311/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली संतोष देवी पुत्री मोहन हि0 1311/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली सरोज देवी पुत्री मोहन हि0 1311/13817 राहिन पीएनबी शाखा रानोली	476/1 498 506	0.2217 0.20 0.96	चाही 3 बा0 3 चाही 3	4.434 0.60 19.20

सहायक कलक्टर(मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

	सिंजा देवी पत्नि स्वंय हि0 437/13817 हि0 राहिन पीएनबी शाखा रानोली हरलाल पुत्र मोहन हि0 1311/13817 हि0 राहिन पीएनबी शाखा रानोली समस्त जाति अहीर (यादव) सा0 रानोली				
	खातेदार	कुल किता 3	कुल रकबा 1.3817है0		कुल लगान 24.234

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner